न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 105/11 निर्णय दिनांकः– 7-6-2022
(जीसीएमएस संख्या 2011/00110)

1. श्रीरामनाथ उर्फ सीराम पुत्र गंगाराम जाति सिद्व निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजी पत्नि मालाराम
2. भोमा
3. टेमा
4. मुन्नीराम

पुत्रगण मालाराम जाति चमार निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

5. आसीदेवी पत्नि टोडाराम
6. किशनाराम
7. हरीराम
8. मामराज(फौत)

8/1. हुणताराम
8/2. सुमन
8/3. गीता
9. नानूराम
10. पेमाराम
11. गोपालराम
12. झूमा
13. सीता

पुत्र/पुत्रियॉ टोडाराम जाति जाट निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13–01–2011
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 13–01–2011 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट् का वाद विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके तहसील श्रीडूँगरगढ़ के ग्राम रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 743 रकबा 86 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से बन्दोबस्ती के समय से राजकीय भूमि थी, उक्त भूमि के उत्तर से दक्षिण में राजकीय कटाण मार्ग मौजूद है, इसी मार्ग से चिपती पश्चित उत्तर की 25 बीघा भूमि अपीलांट् के कब्जे काश्त में बन्दोबस्ती के समय से निरन्तर चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि के मौके पर अपीलांट् ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा मौके पर चारों और चारदिवारी बना रखी है। अपीलांट् वादग्रस्त भूमि कदीमी काश्तकार रूप में बतौर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट् द्वारा पूर्व में भी इसी भूमि की काश्त की बाबत् रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी थी, उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर तक यथावत रखा गया था। जो आज दिनांक तक कायम है। ऐस स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कायम रहते हुए भी आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दावा धोषणात्मक प्रस्तुत कर रखा है जोकि आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व पारित कर रखी है। ऐसी स्थिति में उसी न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से आराजी जैर के विभाजन की डिक्री अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया जाना स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् एक वादपत्र बउनवान भोमाराम बनाम तोलाराम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट् द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23–06–2011 को उक्त वादपत्र इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया गया था कि वे अपीलांट् को पक्षकार स्थापित करते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते के उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस प्रकार अदालत मातहत को इस तथ्य की भलींभाति जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एक नया वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना अपीलांट् के विधिक अधिकारों पर स्पष्ट रूप से कुठाराधात है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में आगे कथन करते हुए न्यायालय का ध्यान अपीलाधीन आदेश की तरफ आकर्षि करवाते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 13–01–2011 को वादपत्र प्रस्तुत करते हुए उसी दिनांक को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 ता 14 से इकबाल जवाब प्राप्त करते हुए उसी दिन विभाजन के आदेश व डिक्री जारी कर दी गई। उक्त डिक्री पारित करने से पूर्व ना तो स्टेट का जवाब ही प्राप्त किया गया, जबकि विभाजन के मामलों में स्टेट का जवाब प्राप्त किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट् को जानबूझकर पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है, ना ही उक्त वादपत्र पर किसी पीठासीन अधिकारी की प्रजन्टेशन अंकित है, इस प्रकार उक्त दावा कब प्रस्तुत हुआ, इस आश्य की कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रिपोर्ट भी संबंधित सीगेदार द्वारा अंकित नहीं होने व इकबाल जवाबदावे में भी किसी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये जाने से भी अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही संदेह के घेरे में आती है। अपीलांट् के वादग्रस्त भूमि पर संवत 2018 से बतौर शिकमी काश्तकार काबिल काश्त होने से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का 25 बीघा भूमि पर हक व हिस्सा निहित है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में की गई कार्यवाहियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई नाही वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति/राजस्व रिकार्ड की कोई जानकारी प्राप्त की गई। यदि तत्समय अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त कार्यवाहियॉ कर ली जाती तो अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य स्वमेव आ जाते की वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् बतौर शिकमी काश्तकार काबिज काश्तकार हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों व मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति/राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर वादपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को ही विधि विरूद्व तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2018 से बतौर शिकमी काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि के बाबत् वादपत्र खातेदारी हेतु जैरकार रहा है, इसीलिए वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् के हित परोक्ष रूप से निहित होने के आधार पर ही अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही तहसील श्रीडूँगरगढ़ के ग्राम रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 873 तादादी 21.88 हेक्टर भूमि के बाबत् गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने व वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने बाबत् प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 द्वारा इकबाल जवाबदावा व वादपत्र से सहमति प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि खेत खसरा न म्बर 873 तादादी 21.83 हेक्टर भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को खसरा नम्बर 873 रकबा 10.94 पूर्वी हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 13 को खसरा नम्बर 873 रकबा 10.94 हेक्टर पश्चिमी हिस्से का प्रदान करते हुए डिक्री जारी की गई। कालान्तर में अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 13–01–2011 में आंशिक संशोधन करते हुए गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार पढ़े जाने के आदेश राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में पारित किये गये है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राम रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 743 की 86 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् प्रस्तुत की गई है, जबकि अदालत मातहत द्वारा ग्राम रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 873 के बाबत् जारी की गई है। अपीलांट् द्वारा खसरा परिवर्तन के बाबत् सूची नम्बर 4/मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता होकि साबिका खसरा नम्बर 743 के नये खसरा नम्बर 843 पैमूद हुए हो। चूंकि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट् का कोई सरोकार नहीं है तथा अपीलांट द्वारा स्वयं अपनी अपील में बतौर शिकमी काश्तकार का कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि कानूनन रूप से अपीलांट् को बतौर शिकमी काश्तकार कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलांट् द्वारा अपील के साथ जोकि राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है, उसमें वह बतौर शिकमी काश्तकार अंकित है। शिकमी काश्तकार की परिभाष कानून में यह है कि किसी काश्तकार की जोत को फसल काश्त करने हेतु धारण में लेवे। इस प्रकार अपीलांट् वादग्रस्त भूमि पर बतौर गैरखातेदार/खातेदार काश्तकार नहीं होते हुए मात्र शिकमी काश्तकार है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् को कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलांट् का नाम वर्ष 2018 की खसरा गिरदावरी में अपीलांट् की काश्त होना अंकित है। तत्पश्चात् खसरा गिरदावारियों में रेस्पोडेन्ट्स का नाम बतौर गैरखातेदार अंकित है। इसी प्रकार वर्ष 2034 से 2037 की चौसाला में अपींलांट् की काश्त अंकित नहीं है व उपकृषक रजिस्टर में लगान आदि रेस्पोडेन्ट्स की तरफ से अपीलांट् द्वारा जमा करवाने का इन्द्राज है। इस प्रकार तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट् बतौर शिकमी काश्तकार चले आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त भूमि के गैर खातेदार अंकित है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में ही वादग्रस्त भूमि ग्राम रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 873 तादादी 21.88 हेक्टर भूमि के बाबत् विभाजन का वादग्रस्त प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 13/प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष इकबाल दावा प्रस्तुत किये जाने पर वादग्रस्त भूमि के विभाजन की डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स जारी की गई है। तमाम राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि से अपीलांट् का कोई सरोकार साबित नहीं है। अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में भी विभिन्न न्यायालयों में चाराजोई की गई, परन्तु उक्त कार्यवाहियों में भी अपीलांट् को कोई अधिकार हासिल नहीं हुए है, इससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् के हक व हकूक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से भी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा धारा 96 सीपीसी व मियांद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि चूंकि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, नाही अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि से एग्रीव्ड/व्यथित पक्षकार है, ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् के सारवान हित नहीं होने से अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब सात से आठ माह के उपरान्त प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वह इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वह समस्त काल्पनिक कारण होने से पर्याप्त कारण नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील गुणावगुण के साथ–साथ लोकसस्टेण्डाई व मियांद के बिन्दु खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13–01–2011 जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 873 तादादी 21.88 हेक्टर भूमि का विभाजन रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादग्रस्त 25 बीघा भूमि पर अपीलांट् सवंत् 2018 से बतौर शिकमी काश्तकार काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा मौके/राजस्व रिकार्ड के व पूर्व में वादग्रस्त भूमि के बाबत् पारित आदेशों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश, पत्रावली में उपलब्ध तमाम राजस्व रिकार्ड व दौराने बहस अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व पूर्व में पारित निर्णयों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् लम्बे समय से विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अपने अधिकारों की सुरक्षा व सरंक्षणा हेतु चाराजोई की जाती रही है, ऐसीस्थिति में अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से व्यथित पक्षकार होना अथवा नहीं होना अपील के गुणावगुण पर आधारित होने से रेस्पोडेन्ट्स की लोकस स्टेण्डाई की आपत्ति खारिज की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसी प्रकार जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रश्न है, चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। चूंकि अपीलांट् एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है, जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाहियों की जानकारी रख सके। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलांट् की अपील को जानकारी के दिन से अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में हमने वादग्रस्त भूमि के बाबत् पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड व पूर्व में पारित निर्णयों का भलींभांति अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् का अपील प्रस्तुत करने का मुख्य आधार वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 743 रकबा 86 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 25 बीघा भूमि पर बतौर शिकमी काश्तकार/कब्जा काश्त होना लिया गया है। इस संबंध में जहॉ तक जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम रीड़ी संवत् 2018 से 2021 का प्रश्न है, उक्त जमाबन्दी में टोडाराम वल्द रामूराम जाति जाट सा. देह व माला वल्द रावता जाति चमार सा. देह गैर खातेदार व श्रीराम वन्द गंगाराम जाति सिद्व सा. देह काश्तकार शिकमी अंकित है। इसी प्रकार सवंत् 2016–29 की खसरा गिरदावरी में टोडर वल्द रामू जाति जाट सा. देह 1/2 हिस्सा मु. राजी बेवाह माला व भोमा, टोमा, मोहन पिसरान माला बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्स जाति चमार सा. देह गैर खातेदार अंकित है। इसी प्रकार कालान्तर में भी तमाम राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त भूमि के गैर खातेदार व अपीलांट् बतौर शिकमी काश्तकार अंकित चले आ रहे है। <u>कानून में शिकमी काश्तकार की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "ऐसा काश्तकार जिसे जोतने के लिये खेत दूसरे काश्तकार से मिला हो। ऐसा काश्तकार वार्षिक लगान देने की प्रतिज्ञा करके किसी दूसरे काश्तकार से कुछ समय तक के लिये जमीन लेकर जोते।</u> इस प्रकार कानून की परिभाषा में स्पष्ट है शिकमी काश्तकार द्वारा मात्र खेत को जोतने के लिये ही भूमि प्राप्त की जाती है, ऐसा काश्तकार बतौर शिकमी काश्तकार उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार अपने अधिकार हासिल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं कर सकता। प्रस्तुत अपील में अपीलांट् ने स्वयं अपने कथनों में अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर बतौर कदीमी/शिकमी काश्तकार के रूप में काबिज है। ऐसीस्थिति में अपीलांट् को कानूनन रूप से बतौर कदीमी/शिकमी काश्तकार वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलांट् राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है, तथा न ही रिकार्डेड टीनेन्ट है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने आपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 13–01–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 7/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/6/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर